यालय उपखण्ड अधिकारी संगरिया (हनुमानगढ़)

ठासीन अधिकारी :– जय कौशिक आर.ए.एस.

ार्थना–पत्र :– 251 (ए) आर.टी.ए.

ार्थना –पत्र नम्बर 54/2024

काशीराम पुत्र श्री दलूराम जाति जाट निवासी नुकेरा तह.संगरिया जिला हनुमानगढ़।

प्रार्थी

बनाम

1. मंगेज कुमार पुत्र रायसिह जाति जाट निवासी नुकेरा तह.संगरिया जिला हनुमानगढ़।
2. रेणु पत्नी श्री रवि कुमार जाति जाट निवासी नुकेरा तह.संगरिया जिला हनुमानगढ़।
3. रवि कुमार पुत्र रायसिह जाति जाट निवासी नुकेरा तह.संगरिया जिला हनुमानगढ़।
4. रायसिह पुत्र सल्लाराम जाति जाट निवासी नुकेरा तह.संगरिया जिला हनुमानगढ़।
5. शिमला देवी पत्नी रायसिंह जाति जाट निवासी नुकेरा तह.संगरिया जिला हनुमानगढ़।
6. ओमप्रकाश पुत्र हेतराम जाति जाट निवासी नुकेरा तह.संगरिया जिला हनुमानगढ़।
7. कृष्ण कुमार पुत्र हेतराम जाति जाट निवासी नुकेरा तह.संगरिया जिला हनुमानगढ़।
8. महेन्द्र कुमार पुत्र हेतराम जाति जाट निवासी नुकेरा तह.संगरिया जिला हनुमानगढ़।
9. जगदीश कुमार पुत्र श्री राजाराम जाति जाट निवासी नुकेरा तह.संगरिया जिला हनुमानगढ़।
10. रामकुमार पुत्र श्री राजाराम जाति जाट निवासी नुकेरा तह.संगरिया जिला हनुमानगढ़।
11. संतो उर्फ संतोष पत्नी राजा राम जाति जाट निवासी नुकेरा तह.संगरिया जिला हनुमानगढ़।
12. तहसीलदार राजस्व संगरिया।

–अप्रार्थीगण

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क (1) आर.टी.एक्ट के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी के नाम से चक 2 आईडीजी खाता संख्या 9/15 जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 में कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है एवं प्रार्थी द्वारा चक 2 आईडीजी पं.नं. 145/128 मु.नं. 34 किला नम्बर 5 एव प.न. 142/128 मु.न. 34 किला नम्बर 4 में किला नम्बर 7 तक दो बिस्वा चौडा रास्ता स्वीकृत करवाने बाबत प्रार्थना–पत्र पेश किया।

प्रार्थना–पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगणों को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 6 ता 11 ने जवाब पेश नही किया। अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 की ओर जवाब प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ जो शामिल पत्रावली किया। इस कार्यालय द्वारा तहसीलदार संगरिया से उक्त रास्ता के प्रकरण को सही रूप से निस्तारण करने एवं मौका की जांच रिपोर्ट चाही जाने पर उन्होने अपने पत्र क्रमांक 684 दिनांक 18.11.2024 द्वारा पक्षकार आपस मे सहमत नही होना व प्रार्थी को रास्ता अत्यधिक आवश्यकता होना एवं रास्ता स्वीकृत किये जाने की अनुशंषा की गई।

पत्रावली में तहसीलदार से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया गया, मुताबिक रिपोर्ट रास्ता की अत्यातिंक आवश्यकता है, रास्ता की मांग सुविधा के लिये नही की जा रही है जबकि आवश्यकता होने पर स्वीकृत करवाना चाहता है।

उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

उपर्युक्त विवेचन के आधार प्रार्थना–पत्र प्रार्थी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम धारा 251 ए प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु "रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता" एवं वैकल्पिक रास्ते का अभाव र विचारण किया गया। रिपोर्ट तहसीलदार से स्पष्टतया प्रकट होती है कि प्रार्थी की कृषि भूमि चक 2 आईडीजी में काश्त करने बाबत जाने हेतु मन्जूर शुद्वा रास्ते का अभाव होने से रास्ते की आत्यंतिक आवश्कता है। अतः यह रास्ता सुविधा के लिए नहीं अपितु आत्यंतिक आवश्यकता के लिए है। अतः न्यायहित में प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीए में अप्रार्थी के रकबा में से चक 2 आईडीजी प.न. 145/128 मु.न. 34 किला नं. 4 की पूर्वी दिशा में उत्तर से दक्षिण में 165 फीट लम्बा 15.5 फीट चौडा तथा किला नं. 5 की उत्तरी दिशा में पूर्व से पश्चिम 165 फुट लम्बा 16.5 फिट चौड़ा रास्ता डीएलसी की 2 गुणा राशि 15 दिवस में तहसील कार्यालय में नियमानुसार जमा करवाये तथा राशि जमा करवाये जाने के बाद प्रश्नगत रास्ता स्वीकृत शुमार समझा जावे और इसका अंकन गैर मुमकिन रास्ता के रूप में राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाकर चालू करवाया जावें। अप्रार्थी को जमा राशि का भुगतान उनके कब्जे अनुसार भू.अ.निरीक्षक की उपस्थिति में हल्का पटवारी द्वारा किया जाना सुनिश्चित करावे, तहसीलदार संगरिया को पालनार्थ लिखा जावें। पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफतर की जावें।

आदेश आज दिनांक 6.3.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया

(जय कौशिक)
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

उपखण्ड अधिकारी
संगरिया